

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1617012

पत्र संख्या -फार्म अनु० 447 आ०घो०प०सं०-2016-17 / -५७-

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म -38 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक: २५ मई: 2016

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली -2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिशनर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मैं एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों के विवरण निम्नवत प्रकाशित करता हूँ जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्रम सं०	व्यापारियों का नाम व पता	फार्म की संख्या	आयात घोषणा पत्रों/ओपीसीएस्टैम्प की सीरीज एवं क्रमांक
1-	सर्वश्री कन्हैया हार्डवेयर, नखास लोहटिया वाराणसी।	01	EE-3529787
2-	सर्वश्री राम एग्रो एजेन्सी माजरा रोड, शामली।	01	BB-0139775
3-	सर्वश्री श्रवण कुमार सचिन कुमार शामली।	01	EE-0746976
4-	सर्वश्री सन्मति इन्फोटेक, शामली।	01	FQQ-0654429
5-	सर्वश्री काशीराम अशोक कुमार शामली।	03	FHH-1183695 से 1183697 तक

(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठा सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) -अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ३०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- (2)- समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर/समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक/वि०अनु०शा०)वा०कर ३०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्बंधित अधिकारियों को छायाप्रति भिजवाने का कष्ट करें।

- (3)- डिप्टी कमिशनर (उन्नाय कार्य) इलाहाबाद लखनऊ ।
- (4)- समस्त डिप्टी कमिशनर (क०नि०) / असिस्टेंट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र सं० (विधि -2 सत्यापन) (८५-८६)-२०१/बिक्रीकर दिनांक २३-१-८५ एवं परिपत्र सं०-फार्म-३१(९१-९२)-फार्म मुद्रण -८६५ / बिक्रीकर दिनांक २-११-९१ के अनुसार कार्यवाही /अनुपालन/किया जाना सुनिश्चित करें ।
- (5)- समस्त असिस्टेंट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी/ स०८०, वा० क० उत्तर प्रदेश ।
- (6)- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
- (7)- विधि / मैनुअल / नई इकाई को पॉच पॉच प्रतियों ।
- (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को १० अतिरिक्त प्रतियों ।
- (9)- पी०एस० जैन अधिवक्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -१३८ ए सेक्टर -२७ नोएडा ।
- (10)- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर० -१५/५ राजनगर, गाजियाबाद ।
- (11)- श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन्स, RDC-५१ राजनगर, गाजियाबाद ।
- (12)- महालेखाकार (कार्मिशायल एवं रिसीट आडिट) यू०पी०, ६ फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13)- समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

१३०/२५५/२०१८
(एम०पी० सिंह)
डिप्टी कमिशनर (फार्म)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।